

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-06/2015

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, सहरसा, छपरा एवं मुंगेर।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, कटिहार,
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), प० चम्पारण(बेतिया), सिवान, गया, बेगूसराय,
सारण, बक्सर, भागलपुर, अरबल, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा,
जमुई, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं शिवहर।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-536 दिनांक 15.03.2016 के आलोक में ब्राईट से प्राप्त वाहन चालक की सेवा के लिए मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान हेतु ₹ 22,57,408/- (बाईस लाख सन्तावन हजार चार सौ आठ) रुपये मात्र आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 29 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक(सांख्यिकी) एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृत्यादेश संख्या-536 दिनांक- 15.03.2016 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स ब्राइट इन्टेलीजेन्स एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज पटना से प्राप्त वाहन चालक की सेवा के विरुद्ध कार्यरत वाहन चालक को इस आवंटन से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।
- 10 आवंटित राशि से नियमानुसार वाहन चालक के बकाया मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-

39

दिनांक-

17.03.16

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

17/3/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6
उप निदेशक (सांख्यिकी)					
1	पटना	-	-	100000	100000
2	गया	-	-	100000	100000
3	सहरसा	-	-	100000	100000
4	छपरा	-	-	100000	100000
5	मुंगेर	-	-	75000	75000
जिला सांख्यिकी कार्यालय					
6	पटना	-	-	100000	100000
7	भोजपुर	-	-	100000	100000
8	नालंदा	-	-	80000	80000
9	औरंगाबाद	-	-	100000	100000
10	कटिहार	-	-	100000	100000
11	पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)	-	-	100000	100000
12	प०चम्पारण	-	-	100000	100000
13	सीवान	-	-	50000	50000
14	गया	-	-	100000	100000
15	बेगूसराय	-	-	52256	52256
16	सारण	-	-	100000	100000
17	बक्सर	-	-	40100	40100
18	भागलपुर	-	-	50000	50000
19	अरवल	-	-	78000	78000
20	मुजफ्फरपुर	-	-	100000	100000
21	मुंगेर	-	-	55000	55000
22	लखीसराय	-	-	12500	12500
23	शेखपुरा	-	-	70000	70000
24	जमुई	-	-	100000	100000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6
25	खगड़िया	-	-	44552	44552
26	सहरसा	-	-	100000	100000
27	सीतामढ़ी	-	-	50000	50000
28	दरभंगा	-	-	50000	50000
29	शिवहर	-	-	50000	50000
	कल योग:-	0	0	2257408	2257408

(बाईस लाख सन्तावन हजार चार सौ आठ)रु०मात्र


निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय


21/3/16

